

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रकाशनार्थ हेतु ,

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संलग्न अथवा वेबसाइट <https://www.cagdi.in> पर आच्छादित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु अनुपूरक परियोजना रिपोर्ट अथवा प्रांतीय परियोजना रिपोर्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी कुशल नेतृत्व में मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना, भारत राष्ट्र के ग्रामीण/शहरी अंचल आदि के बेरोजगार युवाओं/कृषक/जनों हेतु ग्रामीण स्तरीय बृहद/मध्यम/लघु/शूक्ष्म केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के सम्पूर्ण नियंत्रणाधीन केन्द्र स्तरीय शासकीय औद्योगिक इकाइयों आदि की स्थापना कर बृहद रोजगार/स्वरोजगार सृजन योजना/कार्यक्रम आदि, भ्रष्टाचार रहित रोजगार सेवक सृजन अथवा स्वरोजगार सदस्य सृजन कार्यक्रम/योजना, निश्चित सीमा से अधिक लालच/लोभ/ईर्ष्या विहीन अथवा मुफ्तखोर रहित जन/कृषक युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु सशक्त कृषक/जन हेतु सशक्त राष्ट्र सृजन योजना/कार्यक्रम आदि, औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम, कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रों हेतु न्यूनतम समर्थन/अन्य मूल्य योजना, क्लस्टर युक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना/कार्यक्रम, दुग्ध विकास योजना/कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना/कार्यक्रम, शासकीय औद्योगिक विकास योजना/कार्यक्रम, भारतीयों निवेशको हेतु भ्रामक/जोखिम मुक्त अथवा रहित निवेश कार्यक्रम/योजना, भारतीय नागरिकों अथवा भारतीय मुद्रा का शासकीय योजनाओं में ब्याज युक्त गारंटीड निवेश सृजन योजना/कार्यक्रम आदि, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र उत्पाद प्रसंस्कृत माल हेतु राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय विपणन योजना/कार्यक्रम यथा वैश्विक ब्यवस्थान्तर्गत भारत राष्ट्र के प्रतिनिधित्वता युक्त निवेश/विपणन इकाई आदि विकास योजना/कार्यक्रम आदि माध्यम से मुद्रा सशक्तीकरण योजना/कार्यक्रम तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के प्रसंस्करण/प्रबन्धन आदि माध्यम से सकल घरेलू आय विकास योजना/कार्यक्रम, भ्रष्टाचार रहित शासकीय सेवक अथवा भ्रष्टाचार रहित नागरिक कर्तव्य के तहत अशासकीय सदस्य सृजन योजना/कार्यक्रम, क्लस्टर युक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना/कार्यक्रम, दुग्ध विकास योजना/कार्यक्रम आदि का कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/परियोजना/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों का ज़ीरो करप्सन बेस्ट पालिसी के तहत वास्तविक भौतिक सत्यापन युक्त भौतिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित/प्रचलन में है। केन्द्रीय कृषि विकास

संस्थान द्वारा पूर्व प्रचलित/ब्यवसायिक नाम उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के विभिन्न कार्यवाहियों/अनापत्तियों/स्वीकृतियों आदि के परीक्षणोपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार अथवा माननीय अध्यक्ष नीति आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किए गए 11931.80(ग्यारह हजार नौ सौ इक्तीस करोड़ एवं अस्सी लाख)भारतीय रुपए के बजट मांग प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आदेश संख्या पीएमओपीजी/डी/2018/0296165 दिनांक 31 अगस्त 2018 के क्रम में पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार के आदेश फाइल संख्या 17-1/2018-डी.पी. दिनांक 19 सितम्बर 2018 द्वारा बजट स्वीकृति के क्रम में संस्थागत स्वीकृत @1.5 लाख संविदा/स्थाई आदि नौकरियों यथा भ्रष्टाचार रहित शासकीय सेवक सृजन कार्यक्रम के तहत जीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के क्रम में @33 माह पश्चात ही भ्रष्टाचार रहित स्थाई शासकीय सेवक पद सृजन एवं समस्त स्वीकृत पदों के प्रबन्धकीय सीट युक्त ब्यवस्थान्तर्गत भ्रष्टाचार रहित स्थाई शासकीय पदों के सृजन किए जाने के क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों एवं संस्थान अथवा संयुक्त योजनाओं के क्रियान्वयन प्रस्तावित/प्रचलन में है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान (संशोधन पूर्व प्रचलित/ट्रेड नाम उत्तर प्रदेश कृषि विकास संस्थान) द्वारा संस्थागत जारी 124/उ०प्र०क्र०वि०स०/लखनऊ/2018-19 दिनांक 26 जुलाई 2018(सेवायोजन पर प्रकाशित दिनांक) जिसके परीक्षा दिनांक 28 अप्रैल 2019 को परीक्षा पश्चात संविदा समापन अवधि पश्चात पुनः सम्पूर्ण पदों को रिक्त घोषित करते हुए पुनः शामिल किया गया अन्य नियुक्ति अधिसूचना संख्या क्रमशः 005/के.कृ.वि.सं./विज्ञा./अधि.(संशो.)/2019-20 दिनांक 07.05.2019, 41/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 13-12-2019, 107/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26.02.2020 एवं 131/के.कृ.वि.सं./2020-21 दिनांक 20.05.2020 आदि के समस्त परीक्षा को वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यत स्वीकृति पर्यन्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में कराए जाने के प्रस्ताव पर भारत राष्ट्र के लगभग प्रत्येक राज्यों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में लक्ष्य आधारित आदि सेवा शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित नियुक्ति प्रक्रिया को क्रमशः चार चरणों के सापेक्ष प्रथम चरण की दिनांक 15 अक्टूबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक नक़ल विहीन साक्षात्कार/लिखित परीक्षा का दिनांक 11 नवंबर 2022 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 में माननीय श्रम एवं सेवायोजन

मंत्री श्री अनिल राजभर जी द्वारा नियुक्ति/नामांकन पत्र वितरण कार्यक्रम का माननीय मंत्री जी के स्वीकृति के क्रम में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2023 में सूचना/आदेश/निर्देश के क्रम में अपरिहार्य कारणों से दिनांक 21 जनवरी 2023 अद्यत किए जाने के निर्देश पर कार्यवाही प्रस्तावित की गयी। कुछ अभ्यर्थियों आदि द्वारा बताया गया कि सूचना समय से नहीं प्राप्त हुआ एवं आ जाने पर नियुक्ति/नामांकन/मनोनयन पत्र आदि के अस्थायी आंशिक रूप से वितरण की व्यवस्था के क्रम में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 में नियुक्ति/नामांकन/मनोनयन पत्र दिए जाने की प्रक्रिया की संस्थान के सहयोगी टैक्स एसोसिएट आशियाना स्थित कार्यालय में की गयी किन्तु नियुक्ति पत्र ग्रहण किए जाने हेतु आये हुए कुछ अभ्यर्थियों एवं उनके कुछ अभिभावकों द्वारा पुलिस एवं विभिन्न पदाधिकारियों को भ्रमित/गुमराह करते हुए किये गए पुलिस शिकायत का जीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के अंतर्गत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को केन्द्र अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के साक्ष्य सत्यापन सहित अन्य कार्यवाही की जाँच कराए जाने से सम्बंधित संस्तुति पत्र पर लखनऊ कमिश्नरेट के जाँच आदेश पत्रांक सीए/डीसीपीई-जांच/23 दिनांक 26 जनवरी 2023 के क्रम में दिनांक 21 फरवरी 2023 को लखनऊ पुलिस द्वारा जाँच को सम्पूर्ण किया गया। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के पत्रांक संख्या ZCBP-01/जि.प्र.का.(लखनऊ)/2022-23 दिनांक: 04 मार्च 2023 के क्रम दिनांक 06 मार्च 2023 को श्रीमान मुख्य सचिव जी उत्तर प्रदेश शासन के सम्मुख औपचारिक बैठक में प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रस्तावों के सापेक्ष केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के विरुद्ध शिकायतकर्ता अथवा शिकायतकर्ता द्वारा किए गए फर्जी शिकायत के विरुद्ध झूठे शिकायतकर्ताओं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगियों के विरुद्ध जीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के विरुद्ध साजिश रचनें, शासकीय कार्यों आदि में बाधा उत्पन्न करनें, पुलिस को गुमराह करने, माननीय प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित राष्ट्र स्थापना हेतु कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करनें, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के साख को नकारात्मक रूप से प्रभावित करनें, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निदेशक को अपमानित करने अथवा जेल भिजवाकर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित केंद्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संस्थान की

कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं आदि को समाप्त कराए जाने आदि, फर्जी तौर पर मीडिया बयान देने, जान से मारने आदि की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धमकी देने, व्हाट्स ऐप आदि माध्यमों से संस्थान के विरुद्ध फर्जी सूचना फैलाने आदि के विरुद्ध जीरो करप्सन बेस्ट पालिसी के अंतर्गत कार्यवाही की संस्तुति आदि की कार्यवाही प्रचलित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के विरुद्ध किए गए फर्जी शिकायत के विरुद्ध जीरो करप्सन बेस्ट पालिसी के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही होने तक सम्बंधित नियुक्ति/मनोनयन अथवा नामांकन अथवा अन्य तीन फेजों की अवशेष परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रोका जाता है।

कृते

निदेशक, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान

सेवा में,

माननीय सम्पादक महोदय प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक/सोशल आदि मीडिया माध्यमों की सेवा में प्रकाशनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

दिनांक 29 मार्च 2023

कृते

निदेशक, केंद्रीय कृषि विकास संस्थान